भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2421

दिनांक 06 अगस्त, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

बढ़ता व्यापार घाटा

2421 : डॉ. दयानिधि मारनः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात में सतत वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वित किए गए विशिष्ट उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जून में व्यापार घाटे में 9.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और आयात तथा निर्यात के बीच बढ़ते अंतर को कम करने के लिए कार्यनीतियों के ब्यौरे पर विचार किया जा रहा है;

(ग) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार जिन छह प्रमुख क्षेत्रों और बीस देशों पर ध्यान केन्द्रित कर रही है उनका ब्यौरा क्या है और इन क्षेत्रों और देशों के चयन के लिए प्रयुक्त मानंदडों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या हस्तशिल्प और पटसन जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों के निर्यात मूल्यों में गिरावट देखी गई है और इन क्षेत्रों की सहायता करने और इस गिरावट को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(ड.) इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के आयात में सोलह प्रतिशत की वृद्धि और चांदी के आयात में 377.4 प्रतिशत की वृद्धि का ब्यौरा क्या है और सरकार घरेलू अर्थव्यवस्था और व्यापार संतुलन पर इन प्रवृत्तियों के निहितार्थों पर किस हद तक ध्यान दे रही है; और

(च) वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए गिरावट वाले क्षेत्रों में निर्यातकों को सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण संबंधी पहलों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): सरकार ने व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात में सतत वृद्धि के लिए निम्नलिखित उपाए किए हैं:

i. नई विदेश व्यापार नीति दिनांक 01 अप्रैल, 2023 को लॉन्च की गई है। नए एफटीपी को गतिशील और उभरते व्यापार परिदृश्यों के प्रति उत्तरदायी बनाना है, तथा ज़मीनी स्तर से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्यों और जिलों के साथ जुड़ाव करना है।

ii. निर्यात को बढ़ावा दने के लिए कई स्कीमों नामतः निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआइईएस) और बाजार अभिगम पहल (एमएआइ) स्कीम के माध्यम से सहायता प्रदान की गई।

iii. श्रम उन्मुख क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केन्द्रीय लेवी और करों में छूट (आरओएससीटीएल) स्कीम 07.03.2019 से लागू की गई है।

iv. निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) स्कीम उन करों की प्रतिपूर्ति प्रदान करता है जो निर्यातित उत्पादों के निर्माण और वितरण की प्रक्रिया में खर्च किए जाते हैं और केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर किसी अन्य तंत्र के तहत वापस नहीं किए जा रहे

हैं। जनवरी, 2021 से स्कीम के कार्यान्वयन के बाद से भारतीय निर्यातकों को लगभग 45,000 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई है।

v. पूर्व एवं पश्च शिपमेंट रुपया निर्यात क्रेडिट पर ब्याज समकरण स्कीम को भी दिनांक 31.08.2024 तक बढ़ाया गया है।

vi. नई एफटीपी डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारत से वस्तुओं और सेवाओं के सीमा–पार व्यापार और भारत से ई–कॉमर्स और अन्य उभरते चैनलों को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा दी गई है।

vii. प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान करके इन उत्पादों का निर्यात करने के लिए अड़चनों को दूर करने और स्थानीय निर्यातकों और विनिर्माताओं को सहायता प्रदान करने के लिए जिलों को निर्यात हब के रूप में लॉन्च किया गया है।

viii. सरकार ने रुपए में अंतरराष्ट्रीय भुगतान को बढ़ावा देने के लिए व्यापार को सुविधाजनक बनाने हेतु विशेष रुपया वोस्ट्रो खाता में रुपए व्यापार को भी अनुमति दे दी है।

ix. भारत ने संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

x. भारत के व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और निवेश के लक्ष्यों को बढ़ावा देने हेतु विदेशों में भारतीय मिशनों की सक्रिय भूमिका में वृद्धि की गई है।

xi. विदेश में स्थित वाणिज्यक मिशनों, निर्यात संवर्धन परिषदों, पण्य बोर्डों और उद्योग संघों के साथ नियमित रूप से निर्यात निष्पादन की निगरानी और समय–समय पर सुधारात्मक उपाए किए जाते हैं।

(ख) जून, 2024 में भारत का वाणिज्यक व्यापार घाटा 20,972.01 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि जून, 2023 में व्यापार घाटा 19,189.24 मिलियन अमेरिकी डॉलर था जो 9.29% वृद्धि दर्ज करता है। व्यापार घाटा वैश्विक और घरेलू कारकों जैसे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में मांग और आपूर्ति, मुद्रा में उतार–चढ़ाव, अंतरराष्ट्रीय कीमतों आदि के कारण विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात में सापेक्ष उतार–चढ़ाव पर निर्भर करता है। सरकार समग्र घाटे पर नज़र रखती है और इसे दूर करने के लिए समय–समय पर उपाय और रणनीतियां अपनाती है।

(ग) जिन छह क्षेत्रों में देश के निर्यात को बढ़ाने की बड़ी संभावना है उनमें कृषि और संबद्ध उत्पाद ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा और परिधान, रसायन, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स सामान शामिल हैं। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार जिन 20 महत्वपूर्ण देशों पर ध्यान केन्द्रित कर रही है उनमें यूएसए, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) नीदरलैंड, चीन, रूस, बांग्लादेश, सिंगापुर, यूनाइटड किंगडम, साऊदी अरब, जर्मनी, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, तुर्की, इटली, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, दक्षिण कोरिया और जापान शामिल हैं। ये 20 देश छह फोकस क्षेत्रों में से प्रत्येक में 62% से अधिक आयात करते हैं और यह इन क्षेत्रों और देशों के चयन के मानदंडों में से एक थे।

(घ) इन क्षेत्रों का निर्यात और कोई भी गिरावट विभिन्न कारकों पर निर्भर है जैसे कि भू–राजनीतिक स्थिति, अंतरराष्ट्रीय बाज़ार की प्रवृत्तियां, बाज़ार की गतिशीलता आदि। इस बीच सरकार निर्यात निष्पादन की लगातार निगरानी कर रही है और उत्पादन एवं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है। सरकार देश से हस्तशिल्प निर्यात के विपणन और इसे बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) चला रही है। एनएचडीपी स्कीम के उप–घटक विपणन सहायता और सेवाओं (एमएसएस) के अंतर्गत घरेलू और विदेशी बाज़ारों में हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन के लिए अखिल भारतीय स्तर पर पात्र एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पिछले तीन वर्षों में हस्तशिल्पों का निर्यात निष्पादन निम्नानुसार हैः

वर्ष	कड़ोर रुपये में निर्यात
2021-22	49,893.11
2022-23	44,719.66
2023-24	48,289.30

(ड.) अप्रैल–दिसंबर, 2023 के दौरान, चांदी के कुल आयात में मात्रा और मूल्य के संदर्भ में क्रमशः 57.59% और 52.65% की गिरावट दर्ज की गई, जिसके परिणामस्वरूप चांदी के कीमतों में वृद्धि के कारण वित्तीय वर्ष 2023–2024 के दौरान मात्रा के संदर्भ में चांदी के आयात में (–) 10.05% की गिरावट आई है और मूल्य के संदर्भ में 2.72% वृद्धि हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स संबंधी राष्ट्रीय नीति, 2019 (एनपीई 2019) को 25.02.2019 को अधिसूचित किया गया है ताकि भारत को चिपसेट सहित मुख्य संघटकों को विकसित करने के लिए देश में क्षमताओं को प्रोत्साहित और संचालित करके और वैश्विक स्तर पर स्पर्धा करने के लिए उद्योग जगत के लिए सक्षम परिवेश का निर्माण करके इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिज़ाईन और विनिमार्ण (ईएसडीएम) हेतु वैश्विक केन्द्र के रूप में स्थापित किया जा सके। इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखला में बड़े निवेश को आकर्षित करने और प्रोत्साहित करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, एनपीई, 2019 के तत्वावधान में विभिन्न स्कीमें अधिसूचित की गई हैं, जो निम्नानुसार हैः

- सेमीकडक्टरों और प्रदर्शन विनिमार्ण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए कार्यक्रम
- आईटी हार्डवेयर 2.0 के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआई) को 17,000 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ मई, 2023 में अधिसूचित किया गया था।
- इलेक्ट्रॉनिक्स संघटकों और सेमीकडक्टरों के विनिमार्ण को बढ़ावा देने के लिए स्कीम (एसपीईसीएस) को अप्रैल, 2020 में अधिसूचित किया गया था।
- संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिमार्ण क्लस्टर (ईएमसी 2.0) स्कीम को अप्रैल, 2020 अधिसूचित किया गया था।
- संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम–एसआईपीएस)
- इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निधि (ईडीएफ)
- चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी)
- इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए 100% तक एफडीआई की अनुमति है
- पूंजीगत वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क से छूट
- प्रयुक्त संयंत्र और मशीनरी का सरलीकृत आयात

(च) सरकार विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के तहत निर्यात बंधु स्कीम के अंर्तगत निर्यात जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित करती है, सहायता प्रदान करती है और निर्यातकों की क्षमता बढ़ाने के लिए उद्योग जगत के हितधारकों के साथ सहयोग करती है। वर्ष 2013 में इसकी शुरूआत के बाद से निर्यात बंधु योजना के तहत 1,15,000 से अधिक व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं।

*****